न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — **श्री बी.एल कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
जोगा पुत्र उदा जाति कुम्हार साकिन दामण तहसील बागोडा जिला जालोर		1.करणा पुत्र नेथी 2.रूपा पुत्र राईगा जातियान चौधरी साकिन दामण तहसील बागोडा जिला जालोर 3.राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार बागोडा जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 47/2016

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री त्रिलोकचंद मेहता/श्री फरमानअली अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2
3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 08.01.2018

1. अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम दामण के नामान्तरकरण संख्या 687 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलाधीन म्यूटेशन सहायक कलेक्टर बागोडा के द्वारा विधि विरूद्ध राजस्व केम्प में पारित निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को फायदा देने के लिये स्वीकृत किया गया है। जो प्रथमदृष्टया ही गलत होने से निरस्त करने योग्य है। मौजा दामण में पुराने खसरा नंबर 61 का मूल रकबा 14 बीघा होना स्वीकृत तथ्य है तथा इस खसरा नंबर की आराजी में पीरिया,वैला, पिसरान खेंदा का 1/2 हिस्सा व जोगा पुत्र उदा का 1/2 हिस्सा है। खसरा नंबर 61 सहित पक्षकारो के बीच बंटवाडा हेतु अपीलांट जोगा ने एक वाद सहायक कलेक्टर भीनमाल में पेश किया जो राजस्व वाद मुकदमा नंबर 76/79 जोगा पुत्र पीरिया के नाम से दर्ज हुआ तथा जरिये राजीनामा यह वाद निर्णित होकर खसरा नंबर 61 की 7 बीघा भूमि पूर्व दिशा वाली जोगा पुत्र उदा के बंट में रखी व इसी प्रकार पीरियां व वेला के खसरा नंबर 61 की सात बीघा भूमि पश्चिम दिशा वाली बंट में रखी।खसरा नंबर 61के अलावा भी अन्य आराजी का बंटवाडा हुआ था और इस प्रकार इस निर्णय के अनुसार पीरिया के हक में 3 बीघा 10 बिस्वा, इसी प्रकार वेला के हक में 3 बीघा 10 बिस्वा हिस्से में आती है। राजस्व वाद प्रकरण संख्या 76/79 की पालना में भूमिधारी के द्वारा तैयार किया गया रेकर्ड त्रुटिपूर्ण बना, हालांकि प्रकरण संख्या 76/79 के निर्णय के अनुसार जोगा अपीलांट की तमाम आराजी जरिये बंटवाडा अलग हो चुकी।जिसका कोई संबंध वेला व पीरिया की आराजी के साथ नही रहा।लेकिन भूमिधारी तहसीलदार बागोडा के द्वारा वाद संख्या 76/79 की पालना गलत कर वेला व पीरियां के हक में आई आराजी में 7 बीघा के स्थान पर 14 बीघा दर्ज की और जहां से विवाद शुरू हुआ। कालान्तर में सैटलमेंट के दौरान वेला व पीरिया के हक में आई आराजी खसरा नंबर के नये नंबर 90 दिये गये तथा जोगा के हक में राजस्व प्रकरण संख्या 76/79 के निर्णय के जरिये हक में आयी आराजी का नया खसरा नंबर 87 दिया गया है। जिसका भी कोई संबंध वेला व पीरिया की आराजी के साथ नहीं है। वेला व पीरिया पिसरान खेदा के गलत रेकर्ड के आधार पर पीरिया ने खसरा नंबर 61 का 7 बीघा आराजी का बेचान दस्तावेज रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 के हक में कर दिया जबकि पीरिया को 3 बीघा 10 बिस्वा से अधिक भूमि बेचने का अधिकार ही नहीं था क्योकि वाद संख्या 76/79 के निर्णय के अनुसार जो पीरिया व वेला के हक में दोनो को मिलाकर 7 बीघा ही भूमि प्राप्त हुई थी।

Sd-

भूमिधारी तहसीलदार के गलत रेकर्ड तैयार करने से रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने एक वाद सहायक कलेक्टर बागोडा के न्यायालय में नये खसरा नंबर 87 में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया तथा वाद का जबाब दावा अपीलांट जोगा द्वारा प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर बागोडा को सही स्थिति से अवगत करवाया।

राजस्व केम्पो के दौरान सहायक कलेक्टर बागोडा ने राज्य सरकार की योजना के विपरित अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी राजीनामा के, बिना साक्ष्य हुये मनमाने तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के वाद को डिक्री कर दिया। जो प्रथमदृष्टया ही न्यायिक सिद्धान्तो के विपरित है तथा बिना साक्ष्य लिये वाद प्रमाणित कानूनन् नहीं माना जा सकता है तथा वाद के निर्णय के दिन अपीलांट हाजिर भी नहीं था, न ही अपीलांट ने राजीनामा किया और बाला बाला सहायक कलेक्टर बागोडा ने मनमाने तौर पर वाद का निर्णय कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बिना किसी जांच के एवं बिना किसी पूर्व रेकर्ड की स्थिति का अवलोकन किये एवं वाद संख्या 76/79 का निर्णय प्रभावी होने के बावजूद भी अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया और इस प्रकार सहायक कलेक्टर बागोडा का निर्णय प्रभावहीन है । अपीलांट के हक में जरिये बंटवाडा मिली आराजी खसरा नंबर 87 में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 का कोई हक व हकूक नहीं है और न ही बेचान दस्तावेज में शामिल है। यहां तक कि वेला पुत्र खेदा के द्वारा भी पीरिया के साथ आराजी बेचान में शामिल नहीं था। जिससे वेला की आराजी का भी बेचान माना जाना न्यायसंगत नही है तथा वाद संख्या 76/79 के अनुसार पीरिया व वेला का 7 बीघा से अधिक भूमि पर कोई हक हकूक नहीं है। नये खसरा नंबर 87 पर अपीलांट काबिज है एवं पूर्व डिक्री संख्या 76/79 के पारित होने के पश्चात से लगातार अपीलांट वर्तमान खसरा नंबर 87 पर काबिज है। अपीलांट को अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 09.09.2016 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। जानकारी की दिनांक से अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 विद्वान अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2015 अनवान करणा वगैराह बनाम जोगा वगैराह में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 की पालना में भरा गया है। जो विधीवत है। उक्त दावे की कोई अपील भी नहीं की गई है। अत: अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश की पालना में भरा गया है। अपीलाधीन आदेश विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा दावा संख्या 39/15 अनवान करना वल्द नैथी वगैराह बनाम जोगा वल्द उदा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2017 में यह आदेश पारित किया गया कि "तहसीलदार बागोडा को आदेश दिये जो हैं कि मौजा दामण के खसरा नंबर 87 रकबा 0.82 हेक्टर किस्म बारानी दोयम के 1/2 हिस्से में वादी करना वल्द नैथी व रूपा वल्द राईगा का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित करें।" तदनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बागोडा के आदेश कमांक/भू.अ./2016/963दिनांक 27.06.2016 की पालना में आदेशानुसार नाामान्तकरण दायर किया गया व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 08.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर